

अन्तः प्रशासनिक कार्य के लिए न्याय हित में एक मौका और दिया जाता है। अवरोध की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत करने के लिये न्याय हित में एक मौका और दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जबाब व तलबी दिनांक 3-10-19 को पेश हो। तब तक अन्तः अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाई जाती है।

उपस्रण्ड अधिकारी, महवा

दिनांक 03-10-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई उपस्थित नहीं है। इसके अलावा प्रार्थीगण को बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा अपने प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण के पत्र में जारी अन्तः अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10-05-19 निरस्त की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर शामिल मूल रहे।

आदेश सुनाया गया।

उपस्रण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौला)